

वादी साक्ष्य हेतु अंतिम अंक
दिनांक 29/8/23
कोषावली

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

29/8/23

कोषावली
वादी साक्ष्य हेतु अंतिम अंक
2007-08 कोषावली की कोस्ट पर अंतिम
अंक दिनांक

पुनश्चमः

युग प्रकरण में कोषावली पर
उपलब्ध (हावेज) का आवेदन
विभा प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा
अन्तर्गत धारा 183(क), 183(ग), 209
राज्य कार्यालय अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत
कर अनुसूचित जनजात के वादी की
आवेदन माँगा जाकर पटवार एका
मानद्वारा नंबर 145 म 03
विश्व कृषि अधिकार स्वर्ण जाति के
पत्रिका द्वारा अधिवक्ता करने का कथन
कर आवश्यक अनुलोप पाया है
धारा 183(क), 183(ग)

राज्य कार्यालय अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण
का आवेदन अधिकार इस न्यायालय को नहीं लेने
से वादी का उक्त अधिनियम नहीं लेने से
खारिज किया जाता है वादी सहायक न्यायालय
वाद वापर करवाकर आवश्यक अनुलोप प्राप्त
करे। कोषावली अधिनियम अधिनियम अधिनियम
से कट हो

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)